कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्तमुनी वन क्षेत्र संलग्नक-1

पत्रांक 260 /12 दिनांक 23-10-2015

सेवा में,

प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटेक्निक-चोपता

रुद्रप्रयाग

विषय - बिना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण,

महोदय,

आप द्वारा बिना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, आप द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है, जबकि निर्माण कार्य को इस राजि के वन दरोगा श्री राजेन्द्र सिंह नेगी द्वारा भी रोका गया था, परन्तु फिर भी आपने निर्माण कार्य बिना भूमि हस्तान्तरण के किया जा रहा है।

अत: आप स्पष्ट करें कि आप द्वारा वन पंचायत भूमि पर बिना पूर्व स्वीकृति के क्यों भवन निर्माण कार्य किया गया है

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

प्रतिलिपि - श्रीमान उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

संलग्नक -(2)

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्तमुनि

पत्रांक 372-73 भूमि विषयक / 2015–16/ दिनांक 4/11/15

विषय– राजकीय पालिटेक्निक निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि चयंकित निर्माण कार्य उ0प्र0निर्माण. निगम लि0 यूनिट–1 देहरादून द्वारा वृक्ष विहीन भूमि पर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन करने के पश्चात प्रारम्भ किया गया था। उक्त भूमि राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन होने एंव वृक्षो के बाधक न होने के कारण जानकरी के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया गया । इस आशय की जानकारी प्राप्त होने पर कि उक्त भूमि पर वन संरक्षण नियम लागू होता है प्रोजेक्टर मेनेजर उ0प्र0निर्माण निगम लि0 यूनिट–1 देहरादून को तत्काल कार्य बन्द करने को कहा गया है। विधिवत स्वीकृति के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य किया जायेगा ।

धन्यवाद।

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

पृ0स0 / भूमि विषयक / 2015–16/ दिनांक

प्रतिलिपि– उपवन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता

Scanned with CamScanner

संलग्नक -③

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं० :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 1304 /12-1(2) दिनांक 5-11 /2015::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– **प्रस्तावित राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता के भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण के क्रम में अवगत कराना है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव उक्त विषयक हेतु ऑन लाईन कर दिया गया है, वन भूमि हस्तान्तरण की पूर्वानुमति के बिना ही सम्बन्धित विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि द्वारा उनके पत्रांक–260/12 दिनांक 23.10.2015 से प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता को तत्काल कार्य बन्द कराने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा उनके पत्रांक– 372/भूमि विषयक–2015–16 दिनांक 04.11.2015 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)–2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण उनके द्वारा जानकारी के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसे उनके द्वारा रोक दिया गया है।

प्रथम दृष्टया प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा जानकारी के अभाव होने की बात सही प्रतीत होती है। प्रधानाचार्य के कार्य बन्द करने से भी यह परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा जानबूझकर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में यथोचित दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

O/C

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

संलग्नक - (4)

प्रपत्र–5

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Principal Govt. Polytechnic Chopta, (Rudraprayag) Uttarakhand** (for diversion under FCA-1980) of **2.00 hac.** of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Construction of **Govt. Polytechnic Chopta, (Rudraprayag) Uttarakhand**. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated - 06-11-2015.

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **2.00 hac. (Civil Land)**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **Yes**

Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **No**

Whether any protected archeological /heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **No**

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **No**

The proposed site was inspected by me on dated 06-11-2015. The construction has been proposed on four khasras - 3308, 3319, 4059 & 4158 and out of these four khasras user agency has started work on Khasra No - 4158 related to foundation and pillar erection. For this notice has been issued to User Agency and they have stopped the work.

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **Yes**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommend in the Public Interest.

(Signature)

Place:- **Rudraprayag**

Name - (Rajiv Dhiman)
Designation - D.C.F.

Date - 06-11-2015

Office Seal ...... प्रभागीय वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

Scanned with CamScanner

संलग्नक -(5)

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0690/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand
   - (i) State / Union Territory : Uttarakhand
   - (ii) District : Rudraprayag
   - (iii) Forest Division : Rudraprayag
   - (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 2
   - (v) Category : Others

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Rudraprayag	2	Revenue Forest

Division 1. : Rudraprayag

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Rudraprayag	2

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2	0.1	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	2	1	1	2	2
2	Misc. Species	Surayi	1	0	1	0	0

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

The area proposed for diversion is Revenue forest. Working Plan for such forests is not prepared.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : no erosion pron zone.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 1.85

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :
   - (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Ghurad, Kakad, Guldar etc.
   - (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No
   - (iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

   Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant

Scanned with CamScanner

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : Yes

(a)Details of violation(s): No Data

(b) Period of Work done(year) : 2015

(c) Area of forest land involved in violation (in ha.) : 0.111

S. No.	Name of person responsible for violation	Designation & Address of person responsible for violation	Action taken against the person responsible for violation
1	Official of U P Rajkiya Nirman Nigam Ltd Nirman Unit Dehradun	Project Manager U P Rajkiya Nirman Nigam Ltd Nirman Unit Dehradun	Notice issued and work was stopped.

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : ~~Yes~~ No

13. Details of compensatory afforestation scheme :

(ii). Total Financial Outlay for C.A: 837464.00

(iii). Whether the land identified by User Agency is suitable for CA and from managementpoint of view?: Yes

(iv).

Copy of certificate regarding suitability of land identified for CA and from management point of view: (v).

Copy of detailed CA scheme including species to be planted,implementing agency,time schedule,cost structure etc.:

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
	NIL	

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Rudraprayag	198400.00	179099.50	578.991	151	1129.614	06/11/2015	256.066	873.548

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visit	Site inspection report	Date of visit
			NO Data			

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of th...

Scanned with CamScanner

संलग्नक -(6)

संख्याः 1320/X-4-15/1(654)/2015

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फॉरेस्ट कालोनी,
इन्दिरानगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः 10 फरवरी, 2016

विषयः जनपद देहरादून में रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1690/1जी-FP/UK/Other/14241/2015, दिनांक 07 जनवरी, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत् प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार के अधिकार की समयसीमा का विस्तार होने पर राज्य सरकार के स्तर पर प्रदान करने व अन्यथा की दशा में भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1. उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता है अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड। उचित तथ्य स्पष्ट करें।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त हार्ड कॉपी की छायाप्रति में 11 वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र दिया गया है, जबकि ऑन-लाईन प्रपत्र में 10 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख हैं।
3. प्रस्ताव के ऑन-लाईन प्रपत्र के भाग-2 के विन्दु संख्या-11 के अनुसार 0.111 हे0 वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस के कम में अधिनियम के प्राविधानानुसार क्या कार्यवाही की गयी, स्पष्ट करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या के साथ संशोधित प्रस्ताव इस टिप्पणी के साथ शासन को उपलब्ध कराया जाय कि भारत सरकार के संगत आदेशों/गाईड-लाईन के अनुसार प्रश्नगत् मामले में स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी है अथवा भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

कार्यालय--अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः 2544 /FP/UK/Others/14241/2015 :देहरादूनःदिनांकः 25 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्नीक चोपता, जनपद-रूद्रप्रयाग।
2-जिलाधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।
3-प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

नोटः- प्रयोक्ता एजेन्सी शासन द्वारा वांछित सूचना प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- शासन का पत्र दिनांक 10-02-2016

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Scanned with CamScanner

संलग्नक - (1)

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 2417 / 12-1(2) दिनांक 02- 04 /2016::

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण)
इन्दिरा नगर फारेस्ट कलोनी,
देहरादून।

विषय :– जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2488 / 1एफ0 / यू0के0 / अदर्स / 14241 / 2015 दिनांक 24.02.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु संख्या–1 व 2 की सूचना प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–607 / भू0ह0 / 2015–16 दिनांक 31.03.2016 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की है, जिसे मूल में संलग्न कर तीन प्रतियों में महोदय की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। बिन्दु संख्या–3 की सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था / एजेन्सी को नोटिस जारी करने के पश्चात् संस्था द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का प्राधिकंरणों / सरकारी विभागों द्वारा उल्लंघन किये जाने पर प्रकरण भारत सरकार पर्यावारण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने तथा उनसे प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है। विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये इस प्रकरण में हुये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक-1304 / 12–1(2) दिनांक 05.11.2015 के द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित की गई है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या 2417 */दिनांकित।*
प्रतिलिपिः– प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

d/c

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पालीटेक्निक,
चोपता, रूद्रप्रयाग।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक: 607/भूमि हस्तानान्तरण/2015–16 दिनांक 31/3/2016।

विषय: जपनपद देहरादून में रूद्रप्रयाग में राजकीय पालीटेक्निक चोतपा के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पालीटैक्निक चोपता को हस्तानान्तरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2488/FP/UK/Others/14241/2015 दिनांक 24–02–2016 के क्रम में उल्लिखित बिन्दुओं की सूचना निम्नवत दी जा रही है:–

बिन्दु 1– उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी राजकीय पालीटेक्निक चोपता है अथवा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड। उचित तथ्य स्पष्ट करें।

आख्या:– उक्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी राजकीय पालीटेक्निक चोपता है जो प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत आता है।

बिन्दु 2– प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त हार्ड कापी की छायाप्रति में 11 वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र दिया गया है, जबकि आन–लाईन में 10 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख है।

आख्या– चूंकि 01 वृक्ष 0–10 सेमी0 मोटाई का है इस कारण उसका आन–लाईन में उल्लेख नहीं किया गया है।

बिन्दु 3– प्रस्ताव में आन–लाईन प्रपत्र के भाग–2 के बिन्दु संख्या–11 के अनुसार 0.111 है0 वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980/दिशा–निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। जिसके लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस के क्रम में अधिनियम में प्राविधानानुसार क्या कार्यवाही की गयी, स्पष्ट करने का कष्ट करें।

आख्या– उपरोक्त की सूचना संस्था स्तर से संबंधित नहीं है।

भवदीय,

(अनुराग नैथानी)
प्रभारी प्रधानाचार्य,
राजकीय पालीटेक्निक चोपता,
(रूद्रप्रयाग)।

पृसं0: /भूमि हस्तानान्तरण/2015–16 दिनांक 2016।

1. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ।
2. निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।

(अनुराग नैथानी)
प्रभारी प्रधानाचार्य,
राजकीय पालीटेक्निक चोपता,
(रूद्रप्रयाग)।

Scanned with CamScanner

संलग्नक –(8)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– /FP/UK/OTHERS/14241/2015 देहरादूनःदिनांकः 17 मई, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः–जनपद–रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1320/X-4-15/1(654)/2015 दिनांक 10–02–2016

महोदया,

शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के पत्रांक 2417/12–1 (2) दिनांक 02–04–2016 के द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 3423/FP/UK/OTHERS/14241/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, जनपद–रूद्रप्रयाग।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Scanned with CamScanner

संलग्नक – 9

संख्याः 524 /X-4-16/1(654)/2015

प्रेषक,

श्याम सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

320
14/7/16

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 11 जुलाई, 2016

विषयः–जनपद–रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3423/FP/UK/Others/14241/2015, दिनांक 17.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन द्वारा वांछित आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. उप वन संरक्षक के पत्र दिनांक 05.11.2015 की छायाप्रति उपलब्ध करायें।
2. उक्त पत्र दिनांक 05.11.2015 के कम में नोडल अधिकारी, वन संरक्षण व भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी सूचना उपलब्ध करायें।
3. प्रकरण आपदाग्रस्त जिले रूद्रप्रयाग से संबंधित है, जिसमें 50 वृक्ष से कम प्रभावित हो रहे है, अतः प्रथम दृष्टया मामले में स्वीकृति प्राधिकार क्षेत्र राज्य सरकार निर्धारित होना प्रतीत होता है। किंतु मामले में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है जिसके कम में भारत सरकार स्तर से कार्यवाही किया जाने का प्राविधान है। उक्त प्रास्थिति में प्रकरण में क्या राज्य सरकार स्वीकृति हेतु प्राधिकारी नही है, नियमानुसार सुस्पष्ट मंतव्य अपनी आख्या सहित प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

संख्याः 524 (1)/X-4–16/1(654)/2015, तददिनांकित।
प्रतिलिपिः–प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक - (10)

ई. मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक- 213 /12-1(2) दिनांक 29/7/2016:::

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण)
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता को वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक– 183 / एफ0पी0 / यू0के0 / अदर्स / 14241 / 2015 दिनांक 15.07.2016 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में इस वन प्रभाग से संबंधित बिन्दु संख्या–01 (इस कार्यालय की पत्र संख्या–1304 / 12–1(2) दिनांक 05.11.2015) की फोटोप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

OC

संख्या 213- / *दिनांकित।*

प्रतिलिपिः– प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364-233505::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 1304 /12-1(2) दिनांक 5-11 /2015::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :— **प्रस्तावित राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता के भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**

महोदय

उपरोक्त विषयक प्रकरण के क्रम में अवगत कराना है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव उक्त विषयक हेतु ऑन लाईन कर दिया गया है, वन भूमि हस्तान्तरण की पूर्वानुमति के बिना ही सम्बन्धित विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर वन क्षेत्राधिकारी, अगस्त्यमुनि द्वारा उनके पत्रांक–260/12 दिनांक 23.10.2015 से प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता को तत्काल कार्य वन्द कराने हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा उनके पत्रांक– 372/भूमि विषयक–2015–16 दिनांक 04.11.2015 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)–2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण उनके द्वारा जानकारी के अभाव में कार्य प्रारम्भ किया गया था, जिसे उनके द्वारा रोक दिया गया है।

प्रथम दृष्टया प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, चोपता द्वारा जानकारी के अभाव होने की बात सही प्रतीत होती है। प्रधानाचार्य के कार्य वन्द करने से भी यह परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा जानबूझकर वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में यथोचित दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

O/C

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक– 183 /FP/UK/OTHERS/14241/2015:देहरादून:दिनांक: 15 जुलाई, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः–जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–शासन की पत्र संख्या 524 /X-4-16/1(654)/2015 दिनांक 11–07–2016 (प्रति संलग्न).

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण Online Portal पर SG पर Show हो रहा है, परन्तु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर ऑफलाईन सूचना चाही गयी है। अतः शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा वांछित सूचना तीन प्रतियॉं में यथाशीध्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– / FP/UK/OTHERS/14241/2015 दिनॉंकित

1– प्रतिलिपि अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, जनपद–रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

P.T.O.

Scanned with CamScanner

सेलग्नक -(ii)

अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितम्बर, 2018 को जनपद–रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति निम्नवत् रही:–

1. श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री सुभाष चन्द्र, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री रीता क़ाण्डपाल, सांख्यिकी अधिकारी, वन संरक्षण भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून।

राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, जिला–रूद्रप्रयाग के निर्माण के लिए 2.00 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण किया जाना है। इस सम्बन्ध में वर्ष–2016 में ऑनलाईन प्रस्ताव अपलोड किया गया था, किन्तु तत्समय इसमें यह आपत्ति लगी कि विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त किये बिना ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग द्वारा तत्संबंधी आपत्ति ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी।

वर्तमान में उस आपत्ति का निराकरण करने की अपेक्षा उचित यह होगा कि नये सिरे से वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव अपलोड किया जाय। Forest (Conservation) Act, 1980 के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नियम (Guidelines & Clarifications) के बिन्दु संख्या–4.3 (II) के अन्तर्गत Penal Compensatory afforestation का प्राविधान है। अतः विभाग के स्तर से Penal Compensatory afforestation के इस प्राविधान के अन्तर्गत Penal Compensatory afforestation दिलवा दिया जाय ताकि प्रस्ताव आसानी से बिना किसी आपत्ति के पारित हो सके। तदनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये।

अंत में बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

(डॉ. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
वन अनुभाग–4
संख्या : 912/x-4-18/1(654)/2015
देहरादून : दिनॉक 16 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि : निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण फोरेस्ट कालोनी, इंदिरा नगर, दे0।

प्रभारि. रूद्रप्रयाग।
आ0 का0 करें।

मु0 व0 सं0
(प्रश0)
18/9/18

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक - (12)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–793 /FP/UK/OTHERS/14241/2015:देहरादून:दिनांक: 19 सितम्बर, 2018

सेवा में,

1 प्रधानाचार्य,
राजकीय पालिटेक्निक, चोपता,
जनपद–रूद्रप्रयाग।

2 प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः–जनपद रूद्रप्रयाग में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/OTHERS/14241/2015)

सन्दर्भः–वन अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 912 /X-4-18/1(654)/2015 दिनांक 10–09–2018 (प्रति संलग्न).

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे २शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण पर पत्र में उल्लिखित कारणों से नया प्रस्ताव अपलोड किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अतः शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– / FP/UK/OTHERS/14241/2015 दिनॉकित

प्रतिलिपि जिलाधिकारी जनपद–रूद्रप्रयाग को शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

Important

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग
पंजीकरण सं० 1076
पत्रावली सं० 12/1/12
दिनांक 29-9-18